कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं0: 2382 /12–1 दिनांक 17/ 03/2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त,
उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

विषय :– जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर–कुमाल्डा मोटर मार्ग के कि0मी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.0825 है0 वन भूमि का गर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक–08बी0/यू0सी0पी0/06/63/2019/एफ0सी0/697, दिनांक 02.09.2024 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक दिनांक 19.09.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के माध्यम से जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर–कुमाल्डा मोटर मार्ग के कि0मी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के संबंध में वांछित तथ्यपरक आख्या/प्रति–उत्तर, उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग के पत्रांक–807/12–1, दिनांक 11.03.2025 से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी, जिसका अवलोकन करने के उपरान्त वांछित आख्या निम्नलिखित प्रेषित की जा रही है:–

1. दिनांक 18.06.2015 को सर्वप्रथम प्रयोक्ता अभिकरण/पी०एम०जी०एस०वाई०, सिचाई खण्ड–2. नई टिहरी, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के द्वारा प्रश्नगत प्रस्तावित मोटर मार्ग का प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण सम्पादित किया गया। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.3300 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.0875 है0 सिविल एवं सोयम भूमि, 0.3675 है0 वन पंचायत भूमि एवं 0.3150है0 नाप भूमि को चयनित करते हुये, उप खण्ड स्तरीय समिति के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधानों के तहत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठन की सहमति /रिपोर्ट दी गयी **(संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्नक–01)**।

2. प्रयोक्ता अभिकरण/अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०. सिचाई खण्ड–2, नई टिहरी द्वारा अपने पत्रांक संख्या–1306/पी०–सिं०ख०–2/ दिनांक 01.11.2017 से "जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायपुर–कुमाल्डा मोटर मार्ग के कि0मी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया **(संलग्नक–02)**।

3. तदोपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–2100/12–1, दिनांक 06.02.2019 से प्रस्ताव को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित किया गया **(संलग्नक–03)**।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के फाइल संख्या–08बी0/यू0सी0पी0/06/63/2019/एफ0सी0/2112, दिनांक 17.12.2019 **(संलग्नक–04)** से प्रश्नगत मोटर मार्ग के निर्माण की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके क्रम में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–1886/12–1. दिनांक 30.12.2019 से डिमाण्ड नोट प्रयोक्ता अभिकरण को प्रेषित किया गया था **(संलग्नक–05)**।

5. तत्पश्चात प्रयोक्ता अभिकरण/अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिचाई खण्ड–2. नई टिहरी द्वारा अपने पत्रांक संख्या–87/पी०–सिं०ख०–२, दिनांक 28.01.2020 **(संलग्नक–06)** से सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त देयकों का भुगतान कैम्पा कोष में करने के पश्चात समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी, जिसे इस कार्यालय के पत्रांक– 2758/12–1 दिनांक 12.03.2020 **(संलग्नक–07)** से उच्च स्तर को प्रेषित किया गया है।

6. प्रयोक्ता अभिकरण/अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड–2, नई टिहरी द्वारा प्रश्नगत मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों के छपान हेतु एवं कार्य प्रारम्भ करने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने हेतु

67

आवेदन के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक–2759/9–1(3) दिनांक 12.03.2020 **(संलग्न–08)** से वृक्षों के छपान/पातन एवं कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गयी, जिसे 01 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व इस कार्यालय के पत्रांक–2091/12–1, दिनांक 25.01.2021 से कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति को निरस्त करते हुये प्रयोक्ता अभिकरण को विधिवत स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु अवगत कराया गया। **(संलग्न–09)**

7. सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या–06 में दर्शाये गये प्रश्नगत मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले 175 वृक्षों एवं 9 Saplings कुल 184 वृक्षों (115 वृक्ष, नरेन्द्रनगर वनप्रभागान्तर्गत) के सापेक्ष नरेन्द्रनगर वन प्रभागान्तर्गत स्वीकृत संरेखण में प्रभावित होने वाले कुल 115 वृक्षों का लौट पातन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–2759/9–1(3) दिनांक 12.03.2020 उत्तराखण्ड वन विकास निगम, नई टिहरी को जारी किया गया।

8. मोटर मार्ग के संरेखण परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा अनुमोदित के0एम0एल0 फाईल के इतर किये गये मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में अपने पत्र संख्या–1329/पी0–सिं0ख0–2/घेना, दिनांक 20.09.2024 **(संलग्नक–10)** से अवगत कराया गया है कि "वनभूमि के अन्तर्गत मोटर मार्ग की स्वीकृति हेतु डी0पी0आर0 प्रस्ताव गठन करने के समय के0एम0एल0 फाईल तथा जिओ रैफरेन्स मैप मोटर मार्ग के समरेखण पर लिये गये कार्डिनेट के आधार पर तैयार किये गये थे। सम्भवतः तकनीकी दक्षता की कमी व समयाभाव के कारण वन भूमि प्रस्ताव के लिये तैयार किये गये के0एम0एल0 फाईल में त्रुटि परिलक्षित हुयी है। कार्यस्थल पर वृक्षों के छपान/पातन तथा मोटर मार्ग का कटान कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत समरेखण के अनुसार ही किया गया है।

9. वनक्षेत्राधिकारी, सकलाना राजि एवं क्षेत्रीय स्टाफ द्वारा अवगत कराया गया कि मोटर मार्ग का संरेखण जिसे प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण के दौरान चयनित किया गया था एवं तत्समय मोटर मार्ग के दोनो तरफ पिल्लरों की स्थापना की गयी थी। मोटर मार्ग में जिस संरेखण में वृक्षों की गणना व मार्किंग कि गयी उन्ही वृक्षों का पातन किया गया है। **(संलग्नक–11)**

मोटर मार्ग के संरेखण का पुनः संयुक्त भौतिक निरीक्षण दिनांक 19.10.2024 को करने के उपरान्त एवं उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों का छपान/पातन स्वीकृत संरेखण में ही किया गया है तथा स्वीकृत संरेखण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/विचलन नही हुआ है, जिसके फलस्वरूप निर्माण कार्य में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का किसी भी प्रकार से उल्लंघन प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा नही किया गया है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि उक्त प्रकरण को निस्तारित कराने हेतु उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून को संस्तुति सहित पत्रावली अग्रसारित करने एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेगें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

पत्रांक–2382/12–1

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल), उत्तराखण्ड, पौड़ी।
3. अधिशासी अभियंता, PMGSY, सिंचाई खण्ड-2, नई टिहरी।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

पत्रांक 807 / 12-1, मुनिकीरेती, दिनांक 11 / 03 / 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग,
मुनि की रेती।

विषय :– **जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर–कुमाल्डा मोटर मार्ग के कि0मी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.0825 है0 वन भूमि का गर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।**

सन्दर्भ :– **आपका पत्रांक सं0–812 / 12–1 दिनांक 30.09.2024**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर–कुमाल्डा मोटर मार्ग के कि0मी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के संबंध में वांछित तथ्यपरक आख्या / प्रति–उत्तर निम्नलिखित प्रेषित की जा रही है:–

1. दिनांक 18.06.2015 को सर्वप्रथम प्रयोक्ता अभिकरण / पी०एम०जी०एस०वाई०, सिचाई खण्ड–2. नई टिहरी, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के द्वारा प्रश्नगत प्रस्तावित मोटर मार्ग का प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण सम्पादित किया गया। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.3300 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.0875 है0 सिविल एवं सोयम भूमि, 0.3675 है0 वन पंचायत भूमि एवं 0.3150 है0 नाप भूमि को चयनित करते हुये, वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधानों के तहत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठन की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट दी गयी **(संलग्नक–01)।**

2. प्रयोक्ता अभिकरण / अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०. सिचाई खण्ड–2, नई टिहरी द्वारा अपने पत्रांक संख्या–1306 / पी०–सिं०ख०–2 / दिनांक 01.11.2017 से जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायपुर–कुमाल्डा मोटर मार्ग के कि0मी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया **(संलग्नक–02)।**

3. तदोपरान्त कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के पत्रांक संख्या–2100 / 12–1, दिनांक 06.02.2019 से प्रस्ताव को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित किया गया **(संलग्नक–03)।**

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के फाइल संख्या–08बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 63 / 2019 / एफ0सी0 / 2112, दिनांक 17.12.2019 **(संलग्नक–04)** से प्रश्नगत मोटर मार्ग के निर्माण की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके क्रम में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के पत्रांक संख्या–1886 / 12–1. दिनांक 30.12.2019 से डिमाण्ड नोट प्रयोक्ता अभिकरण को प्रेषित किया गया था **(संलग्नक–05)।**

5. तत्पश्चात प्रयोक्ता अभिकरण / अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिचाई खण्ड–2. नई टिहरी द्वारा अपने पत्रांक संख्या–87 / पी०–सिं०ख०–२, दिनांक 28.01.2020 **(संलग्नक–06)** से सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त देयकों का भुगतान कैम्पा कोष में करने के पश्चात समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग को उपलब्ध करायी गयी, जिसे कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के पत्रांक संख्या – 2758 / 12–1 दिनांक 12.03.2020 **(संलग्नक–07)** से उच्च स्तर को प्रेषित किया गया।

6. प्रयोक्ता अभिकरण/अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड–2, नई टिहरी द्वारा प्रश्नगत मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों के छपान हेतु एवं कार्य प्रारम्भ करने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने हेतु आवेदन के क्रम में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के पत्रांक संख्या–2759/9–1(3) दिनांक 12.03.2020 **(संलग्न–08)** से वृक्षों के छपान/पातन एवं कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गयी, जिसे 01 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के पत्रांक संख्या –2091/12–1, दिनांक 25.01.2021 से कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति को निरस्त करते हुये प्रयोक्ता अभिकरण को विधिवत स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु अवगत कराया गया। **(संलग्न–09)**

7. सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या–06 में दर्शाये गये प्रश्नगत मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले 175 वृक्षों एवं 9 Saplings (115 वृक्ष, नरेन्द्रनगर वनप्रभागान्तर्गत) के सापेक्ष नरेन्द्रनगर वन प्रभागान्तर्गत स्वीकृत संरेखण में प्रभावित होने वाले कुल 115 वृक्षों का लौट पातन हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के पत्रांक संख्या–2759/9–1(3) दिनांक 12.03.2020 उत्तराखण्ड वन विकास निगम, नई टिहरी को जारी किया गया।

8. मोटर मार्ग के संरेखण परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा अनुमोदित के0एम0एल0 फाईल के इतर किये गये मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में अपने पत्र संख्या–1329/पी0–सिं0ख0–2/घेना, दिनांक 20.09.2024 **(संलग्नक–10)** से अवगत कराया गया है कि " वन भूमि के अन्तर्गत मोटर मार्ग की स्वीकृति हेतु डी0पी0आर0 प्रस्ताव गठन करने के समय के0एम0एल0 फाईल तथा जियो रिफरेन्स मैप मोटर मार्ग के संरेखण पर लिए गये कोर्डिनेट के आधार पर तैयार किये गये थे। सम्भवतः तकनीकी दक्षता की कमी व समयाभाव के कारण वन भूमि प्रस्ताव के लिये तैयार किये गये के0एम0एल0 फाईल में त्रुटि परिलक्षित हुई है। कार्यस्थल पर वृक्षों के छपान/पातन तथा मोटर मार्ग का कटान कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत संरेखण के अनुसार ही किया गया है।

9. वन क्षेत्राधिकारी, सकलाना एवं क्षेत्रीय स्टाफ द्वारा अवगत कराया गया कि मोटर मार्ग का संरेखण जिसे प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण के दौरान चयनित किया गया था एवं तत्समय मोटर मार्ग के दोनो तरफ पिल्लरों की स्थापना की गयी थी। मोटर मार्ग में जिस संरेखण में वृक्षों की गणना व मार्किंग कि गई उन्हीं वृक्षों का पातन किया गया है **(संलग्नक–11)**।

अतः आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सहित प्रेषित है।

<u>**संलग्नक–यथोपरि।**</u>

भवदीय

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संलग्नक (01)

परियोजना का नाम– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपु र विकासखण्ड में रायपुर–कुमाल्डा–कद्दूखाल मोटर मार्ग के किमी0 35 से घेना मोटर मार्ग (3.325 किमी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना की लम्बाई–चौड़ाई का विवरण (वन प्रमाग, मुनि की रेती, खण्ड–नरेन्द्रनगर)

क्र0सं0	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्ग मी.में)	कुल क्षेत्रफल (है0 में)
1	आरक्षित वन भूमि	1900	7.00	13300	1.3300
2	सिविल सोयम वन भूमि	125	7.00	875	0.0875
3	वन पंचायत	525	7.00	3675	0.3675
मोटर मार्ग हेतु अर्जित कुल वन भूमि					1.7850
4	नाप भूमि	350	9.00	3150	0.3150
कुल नाप भूमि					0.3150
मोटर मार्ग हेतु अर्जित कुल भूमि					2.1000

अपर सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–2
नई टिहरी

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–2
नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–2
नई टिहरी

संलग्न-01

प्रपत्र-6

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमाल्डा-कददूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 35 से घेना गाव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनाँक 18.06.15 को पी0एम0जी0ए सिंचाई खण्ड 2 नई टिहरी (एजेन्सी का नाम) के द्वारा जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमाल्डा-कददूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 35 से घेना गाव तक बनाये जाने वाले मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री [illegible] एवं राजस्व विभाग की ओर से श्री [illegible] प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री [illegible] तथा स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 350 (मी0) नाप भूमि से, 650 (मी0) सिविल भूमि से, ~~0000~~ 525 (मी0) वन पंचायत से, 2325 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.3150 हे0 नाप भूमि, ~~0.4550~~ 0.870 हे0 सिविल भूमि, ~~0.000~~ 0.3680 हे0 वन पंचायत, 1.6275 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 2.0825 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 184 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे,जिनमें से 145 बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे। ग्रामीणो के अत्याधिक विवाद के कारण दूसरा समरेखण नही किया जा सका।

इस भूमि हस्तान्तरण के तुलना से जो वैकल्पिक वन भूमि हस्तान्तरण देखे गये उसमें 350 (मी0) नाप भूमि से, 650 (मी0) सिविल भूमि से, ~~0000~~ 525 (मी0) वन पंचायत से, 2575 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.3150 हे0 नाप भूमि, ~~0.4550~~ 0.870 हे0 सिविल भूमि, ~~0.000~~ 0.3680 हे0 वन पंचायत भूमि, 1.8025 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 2.1175 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 217 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे,जिनमें से 175 बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान. 78° 09' 43.59" E 30° 19' 31.68" N है तथा यह स्थल रायपुर-कुमाल्डा-कददूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 35 से ~~घेना गाव मोटर मार्ग के कि0मी0 [illegible] से~~ प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल ~~[illegible]~~ है जिसका GPS मान 78° 12' 33.56" E 30° 18' 40.34" N है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान संन्लग्न है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा है/नही है। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन होगा/नही होगा।

इस समरेखण पर निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु, कृषकों की भूमी पर खड़ साइड़ में मार्ग के समान्तर वायर क्रेट लगाकर उत्सर्जित मलवे का निस्तारण किया जयेगा जो स्थल उपयुक्त पाये गयें हैं जिनका GPS मान 78° 10' 01.68" E 30° 19' 02.86" N, 78° 10' 00.11" E 30° 19' 00.59" N, 78° 11' 13.49" E 30° 19' 29.32" N, 78° 11' 14.51" E 30° 19' 31.57" N, 78° 11' 18.63" E 30° 19' 32.37" N, 78° 11' 17.78" E 30° 19' 30.87" N, 78° 11' 21.09" E 30° 19' 20.92" N, 78° 11' 22.17" E 30° 19' 12.51" N, 78° 11' 15.62" E 30° 18' 30.37" N हैं।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
AE (प्रयोक्ता एजेन्सी) प्रतिनिधि सहायक अभियन्ता-द्वितीय पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0ख0-2 नई टिहरी	(वन विभाग) प्रतिनिधि	(राजस्व विभाग) प्रतिनिधि	ग्राम पंचायत प्रतिनिधि ... जौनपुर (टि0 ग0)

संलग्न -02

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–2
नई टिहरी

Tele Phone No. :- 01376-232321
Fax No. :- 01376-232321
E-Mail ID :- eepmgsytehri2@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

पत्रांक– 1306/पी0–सिं0ख0–2/ दिनांक 01 /11/2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती
टिहरी गढ़वाल।

विषय :– जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायपुर–कुमाल्डा–कद्दूखाल मोटर मार्ग के किमी0 35.00 से घेना मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/23941/2017 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायपुर–कुमाल्डा–कद्दूखाल मोटर मार्ग के किमी0 35.00 से घेना मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव ऑनलाईन कर दिया गया था, जिसका क्रमांक FP/UK/ROAD/23941/2017 है।

उक्त वनभूमि प्रस्ताव की 05 प्रति (Hard Copy) अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करें।

संलग्नक :– वनभूमि प्रस्ताव 05 नं0

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–2
नई टिहरी

पत्रांक:–1306 /पी0–सिं0ख0–2/ /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–2
नई टिहरी

संलग्न-13

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं0: 2100 /12-1 दिनांक 06 /02 /2019

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड
मुनिकीरेती।

विषय :— जनपद टिहरी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायपुर—कुमाल्डा—कद्दूखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.0825 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव संख्या—**FP/UK/ROAD/23941/2017** के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :— अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0—2 नई टिहरी का पत्रांक—1306 /पी0— सिं0ख0—2 दिनांक 01.11.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव संख्या— FP/UK/ROAD/23941/2017 जनपद टिहरी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायपुर—कुमाल्डा—कद्दूखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.0825 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव की मूल प्रति सहित 04 प्रतियों में प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। उक्त प्रस्ताव मूल प्रति सहित आपको 04 प्रतियों में अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न—04 प्रतियॉ :—

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्याः— 2100 / दिनांकित।

प्रतिलिपि :— अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0—2 नई टिहरी को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

o/c

संलग्न-04

...त सरकार
...वरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
...लय
...त्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल – moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

...सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 63 / 2019 / एफ0सी0 / 2112-   दिनांक: 17 / 12 / 2019

...में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर–कुमाल्डा मोटर मार्ग के कि0मी0 35 से घेना गाव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.0825 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 415/x-4-19/1(35)/2019 दिनांक 14.05.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/Road/23941/2017 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अंतिम अनुपालना अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 02.12.2019 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार – जनपद – टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर–कुमाल्डा मोटर मार्ग के कि0मी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.0825 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. वन विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने अर्थात् 4.165 है0 ग्राम घेना सिविल सोयम पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हेस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वेब पोर्टल पर **Online Generate** किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए। अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।

कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 175 वृक्ष एवं 9 saplings से अधिक न हो।

State Govt. will submit the CA scheme in original to this office. रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधियत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:–

वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।

एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।

प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।

परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।

वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।

सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।

9. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

10. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

11. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय

(रान्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(रान्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

सलंग्न -05

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

(6)

पत्रांक सं0: 1886 / 12-1 दिनांक 30 / 12 /2019

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0-02
नई टिहरी।

विषय :- जनपद-टिहरी गढवाल के जौनपुर विकास खण्ड रायपुर-कुमाल्डा-कद्दूखाल मोटर मार्ग के किमी0 35.00 से घेना गांव तक मोटरमार्ग निर्माण हेतु 2.0825 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/23941/2017 गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी का पत्रांक-1529 / FP/UK/ROAD/23941/2017 दिनांक 21-12-2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक विषयक सन्दर्भित पत्र जो आपको सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है में कतिपय अधिरोपित शर्तो के अधीन जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का उल्लेख है। भारत सरकार के पत्र संख्या-08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 63 / 2019 / एफ0सी0 / 2112 दिनांक 17-12-2019 में दी गयी शर्तो के कम में आपके द्वारा निम्नानुसार अनुपालन किया जाना है।

1- शर्त संख्या-01 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा ग्राम-घेना की सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख-रखाव हेतु धनराशि का निर्धारण प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग द्वारा किया जायेगा।

2- शर्त संख्या-02 के अनुपालन में एन0पी0वी0 के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 1.698 हे0 हेतु @ 8,45,000.00 प्रति हे0 की दर से मु0 14,34,810.00 धनराशि जमा करनी होगी। एन0पी0वी0 की मांग का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

"प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या-5-3 / 2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 मे उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार आवंटित वन भूमि हेतु एन0पी0पी0 की देयता निम्नानुसार है" :-

ईको-क्लास श्रेणी-	V
हरियाली का घनत्व-	0.40 MDF
एन0पी0वी की दर प्रति हे0-	मु0 8,45,000.00 (आठः लाख पैंतालीस हजार रूपये मात्र)
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल-	1.698 हे0
कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि-	1.698 हे0 X 8,45,000.00 = 14,34,810.00

3- शर्त संख्या-03 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3 / 2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

4- शर्त संख्या- 04. के अनुपालन में प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का वचनबद्वता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगें कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

5- बिन्दु संख्या–05 के अनुपालन में प्रयोवता अभिकरण यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियॉं (सी०ए०, एन०पी०वी आदि) को वैब पोर्टल पर ऑन लाईन किये गये चालान के माध्यम द्वारा ऑनलाईन बैंक में जमा किये जाये, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नही होगी।

6- बिन्दु संख्या–06 के अनुपालन में प्रयोवता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 60 वृक्षों (मसूरी वन प्रभाग) एवं 115 वृक्षों (नरेन्द्रनगर वन प्रभाग) से अधिक न हो तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

7- बिन्दु संख्या–07 के अनुपालन में User Agency in Conurrence with Concerned Range officer of the said will submit the CA scheme in original to this office. रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधो का रोपण किया जयेगा।

8- बिन्दु संख्या–08 के अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति में कोई बदलाव नही किया जायेगा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9- बिन्दु संख्या–09 के अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण, एन0पी0वी0 की दरों में अगर वढोत्तरी होती है तो बढी हुई दरो पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा।

10- बिन्दु संख्या–10 के अनुपालना में प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नही लगाया जायेगा तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

11- बिन्दु संख्या–11 के अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट उँचे आर0सी0सी0 पिल्लर द्वारा सीमांकन जिन पर Forward एवं Back Bearing अंकित हो संलग्न प्रॉक्कलन के अनुसार करवाते हुये मय फोटों ग्राफ्स/जी0पी0एस0 सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

12- बिन्दु संख्या–12 के अनुपालना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा की निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

13- बिन्दु संख्या–13 के अनुपलाना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र दिया जायेगा कि परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुचायी जायेगी।

14- बिन्दु संख्या–14 के अनुपलाना में प्रस्तावक विभाग द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र दिया जायेगा कि प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये वन भूमि का प्रयोग नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नही किया जायेगा।

15- बिन्दु संख्या–15 के अनुपलाना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात जहॉं–जहॉं संभव हो अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख मे Strip Plantaion की जायेगी। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा अथवा Strip Plantaion हेतु धनराशि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित करवाकर भी की जा सकती है।

16- बिन्दु संख्या–16 के अनुपलाना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उत्तसर्जित मलवे का निस्तारण प्रस्ताव में संलग्न मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में अथवा यदि प्रयोवता अभिकरण चाहेँ तो वन विभाग द्वारा भी किया जा सकता है। निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नही फेंका जायेगा।

17- बिन्दु संख्या–17 के अनुपालना में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तों उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता अभिकरण की जिम्मेवारी होगी इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

18- बिन्दु संख्या–18 के अनुपालना ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

अतः उक्तानुसार कार्यवाही करते हुये अनुपालन आख्या 04 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुये ऑनलाईन भी अपलोड करने का कष्ट करें। उक्त सभी शर्तो की अनुपालना के पश्चात ही भारत सरकार के पत्रांक–11–306/2014 एफ0सी0 दिनांक 08–08–2014 एवं उत्तराखण्ड के पत्रांक–941/X–4–18/1–05(04)/2014 दिनांक 26–09–2018 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्याः– 1886/12–1 दिनांकित

प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोड़ल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी को इस आशय से प्रेषित की अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रभावित होने वाली वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0की धनराशि जमा करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को पृथक से डिमाण्ड नोट अपने स्तर से भी जारी करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि :– उप प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग नरेन्द्रनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– राजि अधिकारी सकलाना राजि को इस निर्देश के साथ कि पत्र में उल्लेखित सभी शर्तो का पालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जाये यह सुनिश्चित कर ले।

उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संलग्न-06

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0-2
नई टिहरी

Tele Phone No. :- 01376.232321
Fax No. :- 01376.232321
E-Mail ID :- eepmgsytehri2@rediffmail.com

पत्र प्राप्ति की तिथि 28/01/2020
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर ....
प्राप्तकर्ता का पदनाम ....
कार्यालय का नाम-न.व.प्र.मुनि-की-रेती

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

पत्रांक- 87 / पी0-सिं0ख0-2 / दिनांक-28/01/2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर, मुनिकीरेती।

विषय :- जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड मे रायपुर-कुमाल्डा-कद्दुखाल मोटर मार्ग कि0मी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग मार्ग निर्माण हेतु 2.0825 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध (Online proposal no. FP/UK/ROAD/23941/2017)

सन्दर्भ - आपका पत्राक संख्या 1886 / 12-1 दिनांक 30.12.2019

महोदय

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में शर्तो की अनुपालना निम्नानुसार है।

1. शर्त संख्या-1 एवं शर्त संख्या 2के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि (रू0 1276702.00 +324903.00+1434810.00=3036415.00) जमा कर दी गई है। जमा प्रति संलग्न।

2. शर्त संख्या-1 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित मौजा घेना की सिविल सोयम भूमि जिसका क्षेत्रफल 4.165 है0 है। वन विभाग के पक्ष में नामान्तिरत करने की कार्यवाही गतिमान है।

1. शर्त संख्या-3 के अनुपालन में पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 5.2.2009 के तहत दिये गये आदेशो के अनुसार एन0पी0वी0 की निर्धारित राशि जमा कर दी गयी हैं
2. शर्त संख्या-4 के अनुपालन के एन0पी0वी0की बढी हुयी धनराशि हेतु वचनबद्वता प्रमाण संलग्न है।
3. शर्त संख्या-5 के अनुपालन में में जमा की गयी सभी निधिया(सी0ए0 एवं एन0पी0वी0 आदि) को वैब पोर्टल पर ऑनलाईन चलान द्वारा बैक में जमा किया गया है, प्रति संलग्न ।
4. शर्त संख्या-6 के अनुपालन में **कम से कम वृक्षो का कटान/पातन** सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है
5. शर्त संख्या-7 के अनुपालन मे रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक ' प्रजाति के पौधो का रोपण किया जायेगा है।
6. शर्त संख्या-8 के अनुपालन में वन भूमि विधिक परिरिथिति में कोई बदलाव नही किया जाएगा ।
7. शर्त संख्या-9 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की बढी हुयी धनराशि जमा कर दी गयी है।
8. शर्त संख्या-10 के अनुपालन में प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरो/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का लैबर कैम्प नही लगाया जायेगा।(प्रमाण पत्र संलग्न हैं।)
9. शर्त संख्या-11 के अनुपालन में प्रस्तावित वनभूमि का 4 फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पीलर द्वारा सीमांकन कर फोटो ग्राफ/जी0पी0एस0 सहित शीघ्र ही प्रस्तुत किये जायेगे।
10. शर्त संख्या-12 के अनुपालन में मजदूरो एवं स्टाफ के लिये रसोई गैस/कैरारिन तेल की आपूर्ति की जायेगी प्रमाण पत्र संलग्न ।
11. शर्त संख्या-13 के अनुपालन में परियोजना के निर्माण रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनरपत्तियों एव जीव जन्तुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नही पहुचायी जायेगी। प्रमाण पत्र संलग्न।

मानचित्रकार
कृ0 आ0 कार्य...

प्र0 व0 अ0 28/01/2020

12. शर्त संख्या–14 के अनुपालन में प्रस्ताव में दर्शाये गये उददेश्य के अलावा अन्य किसी उददेश्य के लिये वनभूमि का प्रयोग नही किया जायेगा । प्रमाण पत्र संलग्नं

13. शर्त संख्या–15 के अनुपालन में सडक निर्माण के पश्चात जहॉं–जहॉं सम्भव होगा विभाग द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip plantation किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न ।

14. शर्त संख्या–16 के अनुपालन में मलवा निस्तारण प्रस्ताव प्रामाण पत्र संलग्न।

15. शर्त संख्या–17 के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद/नियम /न्यायालय /आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न ।

16. शर्त संख्या–18 के अनुपालन में भविष्य में जीवों के संरक्षण हेतु सभी शर्ते मान्य होगी । प्रमाण पत्र संलग्न ।

अतः आग्रह है कि उपरोक्त मोटर मार्ग पर स्थित पेडो का छपान कार्य कराते हुए कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्नकः– 01 प्रतिया उपरोक्तानुसार।

आर.न. 4664/12
दिनांक. 28/01/2020
ह0 आर.क
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनि–की–रेती

28/1

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0 –2
नई टिहरी

पत्रांकः– /पी0–सिं0ख0–2/ /तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को उपरोक्त के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

1 मुख्य विकास अधिकारी नई टिहरी, टिहरी गढवाल।

2. सहायक अभियन्ता– चतुर्थ, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0–2 नई टिहरी।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0 –2
नई टिहरी

संलग्न-07

कार्यालय उप वन संरक्षक, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

पत्रांक संख्या– 2758 /

दिनांक 12/ 03/2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :– जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर विकास खण्ड रायपुर–कुमाल्डा–कद्दूखाल मोटर मार्ग किमी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.0825 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/23941/2017)

सन्दर्भ :– अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0–2 नई टिहरी का पत्रांक संख्या–194/पी0–सिं0ख0–02 दिनांक 28–02–2020 ।

महोदय,

आपका पत्र संख्या–1529/FP/UK/ROAD/23941/2017 दिनांक 21–12–2019 के कम में अवगत कराना है कि विषयक मोटर मार्ग की सैद्वान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तो के अधीन की गई है जिसकी पूर्ण अनुपालन आख्या प्रस्तावक विभाग विभाग द्वारा उनके पत्र सन्दर्भित पत्र से निम्नवत् दी गई है।

1- शर्त संख्या–01 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु मु0 12,76,702.00 धनराशि जमा की गई है।
2- प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 4.165 हे0 ग्राम–घेना, पट्टी सकलाना तहसील धनोल्टी की सिविल सोयम भूमि जिस पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाना है का नामान्तरण मसूरी/नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के पक्ष में जिलाधिकारी के आदेश संख्या–522/XI-131(2019-20) दिनांक 19–02–2020 के कम में किया गया । ततसम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है।
3- शर्त संख्या–03 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा 1.698 हे0 वनभूमि हेतु 08,45,000 प्रति हे0 की दर से रु 14,34,810.00 एवं 0.3845 हे0 वनभूमि हेतु 08,45,000 प्रति हे0 की दर से रु 03,24,903.00 कुल मु0 17,59713.00 एन0पी0वी0 धनराशि जमा किया गया है।
4- बिन्दु संख्या–04 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होने की दशा में बढी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने सम्बन्धी प्रस्तावक विभाग द्वारा जारी प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है।
5- विन्दु संख्या–05 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा सभी निधियॉ (सी0ए0, एन0पी0वी0 आदि को बैब पोर्टल पर ऑनलाईन के माध्यम से जमा करवाया गया है। प्रति संलग्न है।
6- विन्दु संख्या–06 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तावित परियोजना में कुल (69+115=184) वृक्षों का पातन किया जायेगा प्रमाण–पत्र संलग्न है।
7- विन्दु संख्या–07 के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधो का रोपण किया जयेगा। प्रमाण–पत्र संलग्न है।
8- विन्दु संख्या–08 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति में कोई बदलाव नही किया जायेगा प्रमाण–पत्र संलग्न है।
9- विन्दु संख्या–10 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नही लगाया जायेगा प्रमाण–पत्र संलग्न है।
10- विन्दु संख्या–11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट उँचे आर0सी0सी0 पिल्लर द्वारा सीमांकन जिन पर Forward एवं Back Bearing अंकित हो संलग्न प्रॉक्कलन के अनुसार करवाते हुये मय फोटों ग्रापस/जी0पी0एस0 सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है।
11- विन्दु संख्या–12 के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे प्रमाण–पत्र संलग्न है।

12- बिन्दु संख्या–13 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुचायी जायेगी प्रमाण–पत्र संलग्न है।

13- बिन्दु संख्या–14 के अनुपलान में प्रस्तावक विभाग द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये वन भूमि का प्रयोग नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नही किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है।

14- बिन्दु संख्या–15 के अनुपलान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ–जहाँ संम्भव हो अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख मे Strip Plantaion की जायेगी। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया है अथवा Strip Plantaion हेतु धनराशि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित करवाया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है।

15- बिन्दु संख्या–16 के अनुपलान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उत्तसर्जित मलवे का निस्तारण प्रस्ताव में संलग्न मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में अथवा यदि प्रयोक्ता अभिकरण चाहैं तो वन विभाग द्वारा भी किया जा सकता है। निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नही फेंका जायेगा तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है।

16- बिन्दु संख्या–17 के अनुपालना में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता अभिकरण की जिम्मेवारी होगी इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है।

17- बिन्दु संख्या–18 के अनुपालना ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे। प्रमाण–पत्र संलग्न है।

अतः सैद्वान्तिक स्वीकृति में दी गई शर्तो की अनुपालन आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु आपको मय संलग्नको के प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–यथोपरि :–

भवदीय

उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्याः– 12-1 / 12/03/2020 दिनांकित

प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0–2 नई टिहरी को उनके पत्रांक–209/पी0ससिं0ख0–02 दिनांक 07–03–2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

11/3/2020

उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संलग्न - 08

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

E-Mail Address - dfonnagar-forest-uk@nic.in Phone/Fax No.- 0135-2442052

पत्रांकः– 2759 /19-1(3) ,दिनांक, मुनिकीरेती, 12 /03/2020

सेवा में,

प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
नई टिहरी।

विषयः– लौट सं0– 48/2019–20 के आबंटन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– राजि अधिकारी, सकलाना का पत्रांक– 606/09 दिनांक 28.02.2020 एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर का पत्रांक– 554/09 दिनांक 28 फरवरी 2020

सन्दर्भित पत्र के कम में इस वन प्रभाग के सकलाना राजि के अन्तर्गत रायपुर–कुमाल्डा–कद्‌दूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 35 से घेनागांव मोटर मार्ग निर्माण (2.0825 है0) में प्रभावित होने वाले 115 वृक्षों का लौट सं0–48/2019–20 अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–941/X-4-18/1-05(04)/2014 दिनांक 26.09.2018 के अनुपालनार्थ तथा राजस्व शाखा की नोट शीट सं0–13 के कम में विदोहन हेतु आबंटित किया जाता है। कृपया उक्त लौट में विदोहन कार्य निम्न प्रतिबन्धों के साथ शीघ्र करना सुनिश्चित करें।

1. उपरोक्तानुसार लौट में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त के वर्ष 1993–94 के बिकी के प्रतिबन्ध नियम लागू होंगे।
2. वन विकास निगम द्वारा लौट का विधिवत चार्ज लिया जायेगा तथा प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक इसकी लिखित सूचना सम्बन्धित राजि व अधोहस्ताक्षरी को देंगे।
3. निगम के सेक्शन अधिकारी प्रतिनिधि के निर्धारित सीमा रजिस्टर तथा मानचित्र पर स्पष्ट नाम व दिनांक सहित हस्ताक्षर करने होंगे।
4. जिस तिथि को निगम के अधिकृत प्रतिनिधि रजिस्टर तथा मानचित्र जिसमें लौट की सीमा निर्दिष्ट की गयी है, हस्ताक्षर करेगा। उसी तिथि से वन निगम लौट के लिए उत्तरदायी होगा। वन निगम की पूर्ण पक्ष में अवैध वन पातन वन भूमि पर अतिकमण तथा अन्य अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार होगा।
5. लौट में उत्पादित प्रकाष्ठ का माहवार प्रगति विवरण अगले माह को 5 तारीख तक राजि कार्यालय में निम्न प्रारूप में देना होगा।

लौट संख्या	माह में पातित वृक्षों का विवरण			आयतन (घ0मी0 में)		
	प्रजाति	ब्यास से0मी0	संख्या	गोल प्रकाष्ठ	चिरान	जलौनी
1	2	3	4	5	6	7

4

6. लौट से कटान चिरान ढुलान की अवधि 31 मई 2020 तक मान्य होगी।
7. लौट मे निकासी लेने हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिससे लौट का इस्तीफा तथा सम्बन्धित राजि अधिकारी की संस्तुति अनिवार्य है।
8. वन निगम इस आदेश प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर लौट में कार्य करना सुनिष्चित करेगा। अन्यथा बाद में लौट में वृक्षों के सड़ने गलने का दायित्व वन विभाग का नहीं होगा।

संलग्नक :– लौट सं0–48/2019–20 व्यासवार सूची।

11/03/2020

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्याः– / , दिनांकित।

प्रतिलिपि – उप–प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – राजि अधिकारी, सकलाना राजि को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रतिबन्धों के अनुसार ही लौट में कार्य करने हेतु सम्बन्धित कर्मचारियों को निर्देश जारी करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

लौंट सं0

वन प्रभाग- नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती

राजि का नाम सकलाना — पवों

ब्लॉक- भुटसी

भुटसी कक्ष सं0- 1

क्र0 सं0	ब्लाक/क0सं0	प्रजाति का नाम	व्यासवर्ग																		कुल योग
			0–10	10–20	20–30		30–40		40–50		50–60		60–70		70–80		80–90		90 से ऊपर		
					का0	ना0	का0	ना0	का0	ना0	का0	ना0	का0	ना0	का0	ना0	का0	ना0	का0	ना0	
	भुटसी/क0सं0 1	बांज	—	48	—	09	—	10	—	10	—	01	—	—	—	—	—	—	—	—	78
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	48		09	—	10	—	10	—	01	—	—	—	—	—	—	—	—	78

अनुभागीय अधिकारी

रौंग/[illegible] अनुभाग

क्षेत्राधिकारी
सकलाना रेंज, चम्बा

वन बीट अधिकारी
गोठ बीट

क्षेत्राधिकारी
सकलाना रेंज, चम्बा

लौंट सं0

वन प्रभाग– नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनि की रेती

राजि का नाम सकलाना – चंबा

ब्लॉक– अटली,

रामपुर कुनाल्डा कडेडवाला मोटर मार्ग के अन्तर्गत से सेना मोटरमार्ग कक्ष सं0 तक सिविल भूमि में आने वाले वृक्षों की सूची

क्र0 सं0	ब्लाक / क0सं0 अटली ब्लाक सेना गांव सिविल भूमि	प्रजाति का नाम	व्यासवर्ग 0–10	10–20	20–30 का0	20–30 ना0	30–40 का0	30–40 ना0	40–50 का0	40–50 ना0	50–60 का0	50–60 ना0	60–70 का0	60–70 ना0	70–80 का0	70–80 ना0	80–90 का0	80–90 ना0	90 से ऊपर का0	90 से ऊपर ना0	कुल योग
1–	–	बाज	—	15	—	10	–	03	—	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
2		काफल	—	—	–	—	—	01	—	–	–	–	–	–	–	–	–	—	—	–	01
3		मेहल	—	01	—	—	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	01
4		दुधलु	—	–	–	01	—	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	01
5		भांगल	—	01	–	01	—	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	02
6		सुरइ	—	–	–	04	—	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	04
		—	—	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	—
		—	—	17	–	16	–	04	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	—	–	37

सौंग/पुजारगांव अनुभाग

वन बीट अधिकारी
गोठ बीट

~~वन क्षेत्राधिकारी~~
~~सकलाना~~ रेंज, चम्बा

वन क्षेत्राधिकारी
सकलाना रेंज, चम्बा

संलग्न-09

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

पत्रांक संख्या– 2091 / 12–1

दिनांक 25 / 01 / 2021

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड–2
नई टिहरी।

विषय :– जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर विकास खण्ड रायपुर–कुमाल्डा–कद्दूखाल मोटरमार्ग के किमी0 35 से घेना गांव मोटरमार्ग निर्माण हेतु 2.0825 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/23941/2017)

सन्दर्भ :– प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून की अध्यक्षता मे दिनांक 09–02–2021 को आहुत बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में आपको अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक–2759 / 9–1(3) दिनाक 12–03–2020 से भारत सरकार के पत्रांक–11–306 / 2014–एफ0सी0 दिनांक 08–08–2014 एवं उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या–941 / X–4–18 / 1–05(04) / 2014 दिनांक 26–09–2018 से दिये गये निर्देशो के अनुपालन मे सैद्धान्तिक स्वीकृति मे अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्राप्त होने के उपरान्त प्रश्नगत मोटरमार्ग के सरेखण मे प्रभावित होने वाले वृक्षो के पातन हेतु वन विकास निगम लि0 टिहरी गढवाल को निर्देशित किया गया था, भारत सरकार के उक्त पत्र मे अधिरोपित शर्त के अनुसार जारी अनुमति 01 वर्ष अथवा विधिवत् स्वीकृति तक मान्य होती है, किन्तु आपके द्वारा प्रश्नगत मोटरमार्ग की विधिवत स्वीकृति प्राप्त नही की गयी है, और इस कार्यालय के पत्रांक–2759 / 9–1(3) दिनांक 12–03–2020 से जारी अनुमति की अवधि समाप्त होने वाली है। जिस हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–2759 / 9–1(3) दिनांक 12–03–2020 से जारी अनुमति एतत् द्वारा निरस्त की जाती है, अनुमति निरस्त किये जाने के उपरान्त बिना अनुमति कार्य को जारी रखना वन संरक्षण, अधिनियम 1980 का उलंल्घन माना जायेगा।

25/01/2021
प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या:– 2091 / 12–1 दिनांकित

प्रतिलिपि :– राजि अधिकारी, सकलाना राजि को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत मोटरमार्ग के निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोकते हुये कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर राजि को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, नई टिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

o/c

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संलग्न -10

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–2
नई टिहरी

E Mail ID : eepmgsytehri2@rediffmail.com

पत्रांक: 1329 / पी0–सिं0ख0–2 / घेना

दिनांक–20 / 09 / 2024

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर, उप वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

विषयः– जनपद टिहरी के अन्तर्गत विकासखण्ड जौनपुर में प्रस्तावित रायपुर–कुमाल्डा–मोटर मार्ग के किमी0 35.00 से घेना गांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.0825 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/23941/2017)

संदर्भ:– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक संख्या–8 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 63 / 2019 / एफ0सी0, दिनांक 02.09.2024

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में आपके द्वारा कुछ बिन्दुओं पर अभिलेख तैयार कर भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून को प्रेषित करने को कहा गया। जिसमें बिन्दु संख्या–02 की आख्या के सम्बन्ध में सूचनीय है कि वनभूमि के अन्तर्गत मोटर मार्ग की स्वीकृति हेतु डी0पी0आर0 प्रस्ताव गठन के साथ ही वनभूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव भी यथाशीघ्र अपलोड करना आवश्यक होता है अन्यथा की स्थिति में मोटर मार्ग की डी0पी0आर0 स्वीकृत नहीं हो पाती है। तत्समय के0एम0एल0 फाईल तथा Geo-Reference मैप प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण पर लिए गये कोर्डिनेड के आधार पर तैयार किये गये थे। सम्भवतः तकनीकी दक्षता की कमी एवं समयाभाव के कारण वनभूमि प्रस्ताव के लिए तैयार किये गये के0एम0एल0 फाईल में त्रुटि परिलक्षित हुई है जिसके कारण के0एम0एल0 फाईल में प्रस्तावित मोटर मार्ग का ग्रेड पी0एम0जी0एस0वाई0 के मानको के अनुरूप भी नहीं है। कार्यस्थल पर वृक्षों के छपान / पातन तथा मोटर मार्ग का कटान कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत समरेखण के अनुसार ही किया गया है।

वर्तमान में वास्तविक समरेखण के अनुसार के0एम0एल0 फाईल तथा गूगल मैप की फोटो तैयार की गयी हैं, जिसके अनुसार यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के समरेखण में आने वाले वृक्षों का छपान / कटान व निर्माण कार्य संशोधित गूगल मैप के अनुसार ही किया गया है। इस निर्माण कार्य में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का किसी भी प्रकार से उलंघन नहीं हुआ है। पूर्व समरेखण एवं वर्तमान समरेखण की के0एम0एल0 फाईल (सी0डी0) एवं गूगल मैप की फोटो, उक्त दोनों समरेखणों का Land Schedule इस कार्यालय के पत्रांक सं0–235 / पी0–सिं0ख0–2 / घेना, दिनांक 13.02.2024 के द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर, उप वन प्रभाग मुनिकीरेती को प्रेषित कर दी गयी थी, जिसकी प्रति आपको भी सूचनार्थ प्रेषित थी (प्रति संलग्न)।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि अपने स्तर से नोडल अधिकारी एवं क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार को एन0आई0सी0 नई दिल्ली के माध्यम से ऑनलाईन पोर्टल में संशोधित के0एम0एल0 को अपलोड किये जाने की अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करवाने की कृपा करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

20/9/24

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सि0ख0–2
नई टिहरी

20/9/24

पत्रांक /पी0–सि0ख0–2 / घेना / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता–चतुर्थ, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मान्यवर,
आ0 का0 कर्र

प्र0 कि0 अ0
18/10/24

आर.नं. 1594 / 12-1
दिनांक 06/11/2024
ह0 आर.क.
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनि–की–रेती

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सि0ख0–2
नई टिहरी

संलग्नक (11)

कार्यालय– वन क्षेत्राधिकारी, सकलाना रेंज, चम्बा

पत्रांक :– 380 / 12 दिनॉक :– 26 फरवरी 2024

saklanarange111@gmail.com

सेवा में

उप प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग
मुनि–की–रेती

विषयः– **जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर–कुमाल्डा मोटरमार्ग के किमी0 35 से घेना गांव मोटरमार्ग के निमार्ण हेतु 2.0825 हे0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/23941/2017)**

सन्दर्भः– आपका पत्रांक– 520 (a) / 12–1 दिनांक–05 / 01 / 2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत करना है, कि उक्त विषय मोटर मार्ग में जिस समरेखण में वृक्षों की गणना व मार्किंग की गयी है, उन्ही वृक्षों का पातन किया गया है।

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवामें सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न–सम्बन्धित स्टाफ की रिपोर्ट।

भवदीय

वन क्षेत्राधिकारी
सकलाना राजि चम्बा

संलग्नक (11)

सेवा में

वन क्षेत्राधिकारी महोदय
सकलाना रेंज, चम्बा

विषय- रायपुर-कुमाल्डा मोटर मार्ग के किमी० 35 से घेना गांव मोटरमार्ग के निर्माण हेतु 2.0825 है० वन भूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बंध में।

सन्दर्भ:- उ०प्र०व० महोदय का पत्रांक- 520(1)/12-1 दि०- 05-01-2024।

महोदय -

निवेदन है कि रायपुर-कुमाल्डा मोटर मार्ग के किमी० 35 से घेना गांव मोटर मार्ग में जिस समरेखण में वृक्षों की गणना व मार्किंग की गई है, उन्ही वृक्षों का पातन किया गया है।

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में प्रेषित।

प्यार चन्द रमोला
अनुभाग अधिकारी
सौंग, पुजारगांव अनुभाग